उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या–1705–अ0प्र0–02अ/पाकालि/2015–253पी(2ए)/89 दिनांकः 16/06/2015

कार्यालय–ज्ञाप

श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा (आर–900), कल्याण अधिकारी (श्रेणी–2), (उ0प्र0 पा0का0लि0 की सेवाओं में आमेलित) जो केस्को, कानपुर में तैनात थे, को प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एस.ओ.–2/820–एम.डी. कैम्प दिनांक 11.11.2003 द्वारा दिनांक 11.11.2003 को पद सहित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था। उ0प्र0 पावर कारपोरेरेशन लि0 में कल्याण अधिकारी (श्रेणी–2) द्वारा अनन्य रूप से किये जाने वाला कोई कार्य न होने के कारण कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–779–अ0प्र0–02(अ)/पाकालि/04–253–पी(2ए)/89 दिनांक 28.01.2004 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा कल्याण अधिकारी (श्रेणी–2) को कल्याण अधिकारी (श्रेणी–2) के पद सहित स्थानान्तरित करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कल्याण अधिकारी (श्रेणी–2), कार्यालय महाप्रबन्धक (वितरण) उ0प्र0 पा0का0लि0, कानपुर के पद पर समायोजित किया गया। श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा कल्याण अधिकारी (श्रेणी–2) द्वारा समयबद्ध वेतनमानो की स्वीकृति तथा छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान पुनरीक्षण की मांग के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27.02.2005 को सम्पन्न 113(19) वी बैठक में अद्योउद्धृत निर्णय लिया गया है :–

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कल्याण अधिकारी (श्रेणी–।।), केस्को, कानपुर (उ0प्र0पा0का0लि0 की सेवाओं में आमेलित) को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान पुनरीक्षण एवं समयबद्ध वेतनमान अनुमन्यता विषयक नीतियों के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कल्याण अधिकारी (श्रेणी–।।), केस्को, कानपुर (उ0प्र0पा0का0लि0 की सेवाओं में आमेलित) को पद सहित केस्को, कानपुर वापस भेजने का निर्णय लिया और इस प्रकरण में जो भी अग्रेतर निर्णय लिया जाना है वो केस्को के निदेशक मण्डल द्वारा लिये जाने के निर्देश दिये ।

2. निदेशक मण्डल के उक्त निर्णयानुसार श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कल्याण अधिकारी(श्रेणी–2) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर को उनके पद एवं अधिष्ठान सहित कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, (केस्को), कानपुर को इस उपबंध के साथ वापस भेजा जाता है कि उनके सेवा सम्बन्धी मामलो में जो भी अग्रेतर निर्णय लेना वांछित हों वह केस्को के निदेशक मण्डल द्वारा लिये जाये।

3. श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कल्याण अधिकारी (श्रेणी–2) को कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, कानपुर से तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या–1705–अ0प्र0–02अ/पाकालि/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव / समस्त निदेशक / अपर सचिव(प्रथम / द्वितीय / तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 , शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत 3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, गैलाना, आगरा मथुरा बाई पास रोड, आगरा।

पंजीकृत 4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर ।

पंजीकृत 5. मुख्य अभियन्ता(वितरण), कानपुर क्षेत्र, दविविनिलि, गोविन्द नगर, कानपुर–6

6. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा) / उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

8. उप सचिव(प्रशि0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–305–प्रशि0–10 / पाकालि / 2015–10–प्रसे0 / 2000टीसी –23 दिनांक 06.04.2015 के संदर्भ में ।

9. अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत 10. श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कल्याण अधिकारी (श्रेणी–।।), कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण), कानपुर क्षेत्र, दविविनिलि, गोविन्द नगर, कानपुर–6.

11. कम्पनी सचिव, पाकालि, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 27.02.2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय (113(19) / 2015 के संदर्भ में संज्ञानार्थ।

12. वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव–02अ